

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं० 330 / 2022

01.12.2022

आवेदिका बबीता देवी पति अनिल मोदी, साकिन-मरकच्चो, पोस्ट-मरकच्चो, थाना-मरकच्चो जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
गुमो	12	68	5950	5.40 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक 08/12/2022 को प्रस्तुत करें।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा

08.12.2022


09.12.2022

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-68, प्लॉट सं०-5950, कुल रकवा-5.4 डी० भूमि बबीता देवी पति अनिल मोदी के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-20 भाग सं०-30 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-576/2007-08 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-3699 दिनांक-07.07.2006 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष- 2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-22 दिनांक-08.11.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-68, प्लॉट सं०-5950, कुल रकवा-5.4 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-गुमो, थाना नं०-12, खाता सं०-68, प्लॉट सं०-5950, कुल रकवा-5.4 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा